



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245484
CG-DL-E-27042023-245484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]
No. 255]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/VAISAKHA 7, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2023

(सं. 20/2023-केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

सा.का.नि. 317(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा निर्देश देती है कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना में उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तरीके से आगे संशोधित किया जाएगा, अर्थात्: -

तालिका

क्रम संख्या	अधिसूचनासंख्या औरतारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	22/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003, (सा.का.नि. 265 (अ), दिनांक 31 मार्च,	उक्त अधिसूचना में, - (1.) पैराग्राफ 6 में, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "पैराग्राफ 6.9 के खंड (ड)" के लिए, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "पैराग्राफ 6.08 के खंड (ड)" प्रतिस्थापित होंगे;

	2003)	(2.) पैराग्राफ 8 में, (i) पहले परंतुक में, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "पैरा 6.18 (घ)" के लिए, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "पैरा 6.17 (घ)" प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) खंड (iii) में, परंतुक में, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "पैरा 6.18 (छ)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "पैरा 6.17 (छ)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (3.) पैराग्राफ 9 में, शब्द, अंक और कोष्ठक "विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.12 (छ)" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.11 (च)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (4.) पैराग्राफ 10 में, (i) खंड (i)(क) में, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.08 (क)" के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.07 (क)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ; (ii) परंतुक में, शब्द और अंक " पैराग्राफ 6.8" के स्थान पर, शब्द और अंक "पैराग्राफ 6.07" प्रतिस्थापित किया जाएगा; (5.) पैराग्राफ 11 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: - "11क इस अधिसूचना में निहित किसी बात के होते हुए भी उत्पाद शुल्क से छूट पवन कैप्टिव पावर प्लांट और सौर कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए किये गए माल की खरीद पर लागू नहीं होगी।" (6.) स्पष्टीकरण में, (i) खंड (iii) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(iii) 'विदेश व्यापार नीति' का अर्थ है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2023 है, जो अधिसूचना संख्या 1/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई है;"; (ii) खंड (vi) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(vi) 'प्रक्रियाओं की पुस्तिका' का अर्थ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रियाओं की पुस्तिका, 2023 है, जो सार्वजनिक सूचना संख्या 01/ 2023, दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I, खंड- I में प्रकाशित हुई है;"; (iii) खंड (xi) में, आंकड़े "2015-20" का लोप किया जाएगा; (iv) खंड (xii) में, आंकड़े "2015-20" का लोप किया जाएगा; (v) खंड (xiv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: '(xiv) "अनुमति पत्र" का अर्थ वही है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2023 के अध्याय 6 में निर्दिष्ट है, जो अधिसूचना संख्या 1/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुआ है।'
2.	23/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003 (सा.का.नि. 266 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003)	उक्त अधिसूचना में, - (1.) तालिका में, (i) क्रम संख्या 23 के सामने, कॉलम (4) में, शब्द और अंक "पैराग्राफ 4.25" के स्थान पर, शब्द और अंक "पैराग्राफ 4.24" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

		(2.) अनुलग्नक में, शब्द और अंक "पैराग्राफ 6.8" के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, शब्द और अंक "पैराग्राफ 6.07" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (3.) स्पष्टीकरण / में, (a) खंड (ii) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(ii) 'विदेश व्यापार नीति' का अर्थ है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2023, जो अधिसूचना संख्या 1/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई है;" (b) खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(v) 'प्रक्रियाओं की पुस्तिका' का अर्थ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रियाओं की पुस्तिका, 2023 है, जो सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023, दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I, खंड- I में प्रकाशित हुई है;"।
--	--	---

[फा. सं. DGEP/EOU/7/2023-TECH]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी:-

1. मूल अधिसूचना संख्या 22/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. 265 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 5 दिसंबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी जो सा.का.नि. 1177(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
2. मूल अधिसूचना संख्या 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. 266 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 5 दिसंबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी जो सा.का.नि. 1177(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2023

(No 20/2023-Central Excise)

G.S.R. 317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in Column (2) of the Table given below shall be further amended in the manner as specified in the corresponding entry in Column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Serial Number	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	22/2003-Central Excise dated the 31 st March, 2003 [G.S.R. 265(E), dated the 31 st March, 2003]	In the notification, - (1.) in paragraph 6, for the words, brackets, letter and figures "clause (e) of paragraph 6.9", the words, brackets, letter and figures "clause (e) of paragraph 6.08" shall be substituted;

		(2.) in paragraph 8, (i) in first proviso, for the words, figures, brackets and letter “Para 6.18 (d)”, the words, figures, brackets and letter “Para 6.17 (d)” shall be substituted; (ii) in clause (iii), in proviso, for the words, figures, brackets and letters “Para 6.18(g)”, the words, figures, brackets and letters “Para 6.17(g)” shall be substituted; (3.) in paragraph 9, for the words, figures, brackets and letters “para 6.12(g) of Foreign Trade Policy 2015-2020”, the words, figures, brackets and letters “para 6.11(f) of the Foreign Trade Policy” shall be substituted; (4.) in paragraph 10A, (i) in clause (ia), for the words, figures, brackets and letters “para 6.08 (a) of Foreign Trade Policy 2015-2020”, the words, figures, brackets and letters “para 6.07 (a) of the Foreign Trade Policy” shall be substituted; (ii) in proviso, for the word and figure “Paragraph 6.8”, the word and figure “paragraph 6.07” shall be substituted; (5.) After paragraph 11, the following paragraph shall be inserted, namely: - “11A. Notwithstanding anything contained in this Notification, exemption from the duty of excise shall not apply on procurement of goods for setting up, operations and maintenance of wind captive power plant and solar captive power plant.”; (6.) in the <i>Explanation</i>, (i) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: “(iii) ‘Foreign Trade Policy’ means Foreign Trade Policy, 2023 notified by the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub- section (ii), <i>vide</i> Notification No 1/2023, dated the 31st March, 2023;”; (ii) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely: “(vi) ‘Handbook of Procedures’ means Handbook of Procedures, 2023 notified by the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, <i>vide</i> Public Notice No 01/2023, dated the 1st April, 2023;”; (iii) in clause (xi), the figures “2015-20” shall be omitted; (iv) in clause (xii), the figures “2015-20” shall be omitted; (v) for clause (xiv), the following clause shall be substituted, namely: “(xiv) “Letter of Permission” has the same meaning as assigned in Chapter 6 of the Foreign Trade Policy, 2023 notified by the Ministry of Commerce and Industry, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) <i>vide</i> Notification No 1/2023, dated the 31st March, 2023.’
2.	23/2003-Central Excise dated the 31 st March, 2003 [G.S.R. 266(E), dated the 31 st March, 2003]	In the notification, - (1.) in the TABLE, (i) against Sr. No. 23, in Column (4), for the word and figures “paragraph 4.25”, the word and figures “paragraph 4.24” shall be substituted; (2.) in the ANNEXURE, for the word and figure “Paragraph 6.8” wherever they occur, the word and figure “paragraph 6.07” shall be substituted; (3.) in the <i>Explanation I</i>, (a) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: “(ii) ‘Foreign Trade Policy’ means Foreign Trade Policy, 2023

		notified by the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub- section (ii), <i>vide</i> Notification No 1/2023, dated the 31st March, 2023;”; (b) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: “(v) ‘Handbook of Procedures’ means Handbook of Procedures, 2023 notified by the Ministry of Commerce and Industry, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, <i>vide</i> Public Notice No 01/2023, dated the 1st April, 2023;”.
--	--	--

[F. No. DGEP/EOU/7/2023-TECH]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

Note: -

1. The principal notification No. 22/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3 (i), *vide* G.S.R 265 (E), dated the 31st March, 2003 and last amended by notification No. 23/2018-Central Excise dated the 5th December, 2018 published *vide* G.S.R. 1177(E), dated the 6th December, 2018.
2. The principal notification No. 23/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3 (i), *vide* G.S.R 266 (E), dated the 31st March, 2003 and last amended by notification No. 23/2018-Central Excise dated the 5th December, 2018 published *vide* G.S.R. 1177(E), dated the 6th December, 2018.